न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 188/19 निर्णय दिनांकः– 16-11-2022
(जीसीएमएस संख्या 2019/00373)

1. दलीपकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चक 10–500 डीओडीडीआर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सम्पतसिंह पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी पोटी तहसील चूरू जिला चूरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30–04–2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 30–04–2018 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति मिडियम पेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर सामान्य आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को 42 वर्ष पूर्व में हुए आवंटन की पत्रावली पर बिना किसी प्रकार की रिपोर्ट व जॉच किये आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 45 डीओडीडी 'आर' के मुरब्बा नम्बर 244 की 12.09 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 100/49 की 3.05 बीघा कमाण्ड तथा इसके साथ ही चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 की 11 बीघा कमाण्ड व 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि उक्त आवंटितशुदा सम्पूर्ण भूमि आराजीराज दर्ज नहीं थी तथा जितनी भूमि का आवंटन किया गया है वह भूमि मिडियम पेच श्रेणी में आवंटित की जा सकती थी नाकि बतौर भूमिहीन आवंटन किया जा सकता था।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 के किला नम्बर 1, 3, 4, 6, 10 ता 12, 21 ता 23, 25 की 11 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5, 18 ता 20, 24 की 5 बीघा भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किया गया है क्योंकि उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि तथा मौके पर वन विभाग के घने पेड़ लगे हुए है। इस संबंध में वन विभाग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में नहर आवंटन नियमों के तहत नहर के 100 फुट दूरी तक की भूमि अनिवार्य वन पट्टी हेतु आरक्षित भूमि होती है तथा उक्त भूमि का आवंटन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर किया गया क्या वादगत् भूमि शूद्व रूप से आवंटन के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। ऐसा आवंटन भूमिहीन आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर मिडियम पेच आवंटन करने से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि उक्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य किसी काश्तकार

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का कोई आवेदन तो जैरकार नहीं है। जबकि अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् की वरियता होने पर भी अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। मिडियमपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होते हुए भी वर्ष 1976 के आवंटन पर पुनः उक्त भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया मिडियम पेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2007 पार्ट I पेज 551 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के फलस्वरूप भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 22–02–2021 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–05–2018 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 15–11–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 45 डीओडीडी 'आर' के मुरब्बा नम्बर 2/44 की 12.09 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 100/49 की 3.05 बीघा कमाण्ड तथा इसके साथ ही चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 की 11 बीघा कमाण्ड व 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन बतौर सामान्य श्रेणी में किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के मुरब्बे में निहित होने के कारण आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है तथा उक्त भूमि बतौर मिडियम में ही आवंटित की जा सकती थी, जिसे अदालत मातहत द्वारा सामान्य आवंटन के तहत विधि विरूद्व तरीके से आवंटित की गई है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। 7

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वर्ष 1976 में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन का पात्र धोषित किये जाने के आधार पर वर्ष 2018 में वादग्रस्त भूमि चक 45 डीओडीडी 'आर' के मुरब्बा नम्बर 2/44 की 12.09 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 100/49 की 3.05 बीघा कमाण्ड तथा इसके साथ ही चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 की 11 बीघा कमाण्ड व 5 बीघा अनकमाण्ड का आवंटन बतौर सामान्य श्रेणी में किया गया है। उक्त आवंटित भूमि में से चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 के किला नम्बर 1, 3, 4, 6, 10 ता 12, 21 ता 23, 25 तादादी 11 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5, 18 ता 20, 24 की 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि के संबंध में उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज–II, बीकानेर द्वारा अपने पत्र कमांक एफ ( )सर्वे/उवसं–स्टेज–II/2017–18/7950 दिनांक 07–08–2018 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 के किला नम्बर 1 ता 15 में काश्त की हुई है तथा किला नम्बर 16 ता 25 में वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये गये है तथा पेड़ मौजूद है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 के किला नम्बर 16 ता 25 की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होकर वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त किला नम्बर 16 ता 25 अर्थात 10 बीघा भूमि में से किला नम्बर 21 ता 23, 25 चार बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 18 ता 20, 24 चार बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 8 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया है। जोकि रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत आवंटन किया जाना साबित होता है।

इसी क्रम में हमने अपीलांट् के धारण की भूमि जोकि उक्त मुरब्बा नम्बर 100/57 के किला नम्बर 2, 7, 8 व 9 कुल चार बीघा भूमि निहित है, अपीलांट द्वारा शेष भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत था व किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित है इस प्रकार कुल 14 बीघा भूमि वन विभाग व अपीलांट् के धारण की भूमि है। ऐसीस्थिति में आवंटन हेतु शेष 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बतौर स्मलपेच/मिडियम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पेच श्रेणी के आवंटन की भूमि होने पर उक्त भूमि का आवंटन बतौर सामान्य श्रेणी में किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा वन विभाग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए व अपीलांट् के प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। उक्त आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई, केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के, वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Rajasthan Colonization (Allotment & Sale of Government Land in Bkakhra Canal Project) Rules, 1955 Rule 11/14 – Cancellation of allotment-permanent allotment made to respondent no. 1 – Legality – Land was available for allotment as a small patch – Land shown as siwai chak & H, B, G, L & V are the adjoining tenants of land – Allotment of land not shown on temporary cultivation – Application of appellants for allotment was pending before the SDO & made allotment to "RL" without deciding it – Allotment of land was dehors the Rules – Allotment obtained by concealing the facts- Held, Allotment is ab-initio-void & set aside & initiate proceedings for fresh allotment., मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश प्रारम्भ से ही शून्य एवं एब

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ईनिशियों वाईड आदेश है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो किसी भी प्रकार सें आवंटन नहीं की जा सकती थी ना ही आवंटन हेतु उपलब्ध थी। अदालत मातहत का उक्त कृत्य मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा यह निष्कर्षित हुआ कि आवंटन अधिकारी का कार्य भले ही सद्भाविक हो किन्तु वह न्याय की दृष्टि से अधिकार ब्राह होने से नियम विरूद्व व अपारदर्शी श्रेणी का है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–04–2018 वादग्रस्त भूमि चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 100/57 के किला नम्बर 1, 3, 4, 6, 10 ता 12, 21 ता 23, 25 तादादी 11 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5, 18 ता 20, 24 की 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक। 6-11-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर